<u>समाचार</u>

लैंगिक उत्पीड़न आंतरिक शिकायत परिवाद समिति की बैठक साकेत में सम्पन्न

कोरबा 23 जनवरी –नगर पालिक निगम कोरबा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु गठित आंतरिक शिकायत परिवाद समिति की बैठक आज निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई, समिति के समक्ष किसी भी प्रकार की शिकायत व परिवाद न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही लंबित है, इस पर समिति के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की।

निगम में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिरोध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगम में आंतरिक शिकायत/परिवाद समिति का गठन किया गया है, जिसकी समय–समय पर बैठक आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में आज निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत में समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक के दौरान पाया गया कि समिति के पास इस संबंध में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और न ही किसी प्रकार का परिवाद लंबित है, इस पर समिति के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा कार्यालय में लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विषयों पर सजग रहने व किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित संज्ञान लेने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

बैठक में समिति की अध्यक्ष गुलिस्ता साहू, सदस्य सचिव सुभाषिनी आशावान, तारा भगत, कीर्ति अनंत, तिरिथबाई, मालती सोनी, पुष्पा बंजारे, तिलका बाई ध्रुव, शीतला गोंड़, आदि उपस्थित थे।